न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 65 / 2025 **जीसीएमएस मु.न. 2025 / 160**

अनवान

मृतक हेमराज पुत्र भाणा के कायम मुकाम व वारिसारान :–

1. रणछोड़ाराम पुत्र हेमराज।
2. मोतीराम पुत्र हेमराज।
3. मफाराम पुत्र हेमराज।
4. नरसीराम पुत्र हेमराज जातियान कलबी निवासीगण दांतिया तहसील सांचोर जिला जालोर।

वादीगण.......

1. लुम्बाराम पुत्र भाणाराम जाति कलबी निवासी दांतिया तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ोदा बैंक शाखा सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर।
3. भूमिधारी तहसीलदार सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.) ।

प्रतिवादीगण.........

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु:– 29.07.2025

उपस्थिति :–

1. श्री सगताराम चौधरी व शंकर चौधरी अधिवक्ता वादीगण।
2. प्रतिवादी 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण दवे।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एकपक्षीय।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 17.12.2025

1. वादीयागण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना में खेत खसरा नम्बर 693 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 732 रकबा 4.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 733 रकबा 1.93 हैक्टर कुल रकबा 8.55 हैक्टर के आये हुऐ है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति की आराजी है। उक्त आराजी मे वादीगण के चाचा प्रभु पुत्र भाणा का भी 1/3 हिस्सा दर्ज है लेकिन हमारे चाचा नाऔलाद फौत हो जाने से उनके नज[illegible]न वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बराबर बराबर है इस कारण [illegible] आराजी 8[illegible] में 1/2 हिस्सा हम वादीगण का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का [illegible] आराजी मूलतः भाणाराम पुत्र रूपाराम के नाम से दर्ज थी। उसके फौत होने पर उक्त आ[illegible] का नामान्तरकरण वादीगण के पिता हेमराज, वादीगण के चाचा प्रभूराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 लुम्बा (वादीगण के चाचा) के नाम भरा गया तथा प्रभूराम नाऔलाद फौत होने पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हक मिलता है अतः उनके स्थान पर वादीगण को 1/2 हिस्से के खातेदार व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:44:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

1/2 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जाना न्याय संगत है। विनायवाद उस वक्त पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2–1/2 हिस्से अनुसार बंटवाडा करने हेतु दिनांक 15.07.2025 को कहा गया तो प्रतिवादी संख्या 1 इन्कार हो गया तब विनायवाद बमुकाम दांतिया में पैदा हुआ मुखासमात तारीख दावा से पेश है। वाद पत्र पेश कर वादीया की निम्नलिखित इस्तदुआ है कि सरहद मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना में खेत खसरा नम्बर 693 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 732 रकबा 4.72 हैक्टर, सरा नम्बर 733 रकबा 1.93 हैक्टर कुल रकबा 8.55 हैक्टर में वादीगण का 1/2 हिस्सा पैतृक हको का होने से तथा वादीगण के चाचा प्रभू पुत्र भाणा नाऔलाद फौत हो जाने से वादीगण मृतक के सगे भाई हेमराज के जाईन्दा पुत्र होने से मृतक प्रभू पुत्र भाणा का नाम डिलेट कर 1/2 हिस्से की खातेदारी की डिकी वादीगण के पक्ष में तथा 1/2 हिस्से की डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हक हिस्से की सादिर फरमावें। हिस्से की बंटवाड़ा की डिकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सादिर फरमावें। वादीगण के बंट व हको की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न ही अन्य किसी से करावे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

2. वादीगण की ओर से पेश वाद कार्यालय टिप्पणी बाद वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण दवे उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादीगण के चाचा प्रभु पुत्र भाणा का उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा दर्ज है लेकिन वादीगण के चाचा प्रभू नाऔलाद फौत हो जाने से उनके नजदीकी वारिशान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बराबर–बराबर हिस्सेदार है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के आपस राजीनामा हो गया है तथा पक्षकारान् ने लिखित राजीनामा पेश किया है तथा राजीनामा के साथ नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवाड़े बाबत् आदेश किया जावें।

4. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा के साथ नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार बंटवाडा किया जावें।

5. हमने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया। ग्राम [illegible] के खेत [illegible] 693 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा संख्या 732 रकबा 4.72 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7[illegible]कबा [illegible] हैक्टेयर जुमले रकबा 8.55 हैक्टेयर आराजी प्रभू पुत्र भाणा [illegible] पुत्र भाणा 1/3 जाति– कलबी सा. देह खातेदार दर्ज है जो जमाबंदी संवत् 2073–2076 के नया खाता संख्या 364 से स्पष्ट है। वादीगण ने वादपत्र अनुसार हेमाराम वादीगण के पिता है लुम्बा पुत्र भाणा प्रतिवादी संख्या 1 है तथा प्रभु पुत्र भाणा नाऔलाद फौत होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 नजदीकी वारिश है, इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि मौजा दांतिया के खेत खसरा संख्या 693 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:44:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

733 रकबा 1.93 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 732 रकबा 4.73 हैक्टेयर में से 0.445 हैक्टेयर (खसरा संख्या 733 से लगती हुई) कुल रकबा 4.275 हैक्टेयर नक्शें में वर्णित लाल रंग की भूमि वादीगण के बंट में तथा खसरा संख्या 732 रकबा 4.72 हैक्टेयर में से 4.275 हैक्टेयर (खेत का पूर्वी भाग) नक्शें में वर्णित आसमानी रंग का हिस्सा प्रतिवादी लुम्बाराम के बंट में रखी गई है। इसी माफिक मौके पर माठे कायम कर दी है। इसी माफिक हम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाना चाहते है। नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार राजीनामा की डिक्री जारी फरमावें तथा राजस्व रेकर्ड में माफिक राजीनामा इन्द्राज करवाया जावें।

6. इस प्रकार राजीनामा अनुसार व वादीगण के वादपत्र अनुसार प्रभू पुत्र भाणा नाऔलाद फौत होने से प्रभू का 1/3 हिस्सा की आराजी के नजदीकी वारिश वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 है तथा राजीनामा में भी वादग्रस्त आराजी कुल भूमि 8.55 हैक्टेयर में वादीगण का 4.275 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 1 का 4.275 हैक्टेयर बराबर–बराबर बताया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार योग्य है।

–:आदेशः–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वांके सरहद दांतिया के खेत खसरा संख्या 693 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा संख्या 733 रकबा 1.93 हैक्टेयर, खसरा संख्या 732 रकबा 4.72 हैक्टेयर में से 0.445 हैक्टेयर (खसरा संख्या 733 से लगती हुई) कुल रकबा 4.275 हैक्टेयर नक्शे में वर्णित लाल रंग की भूमि वादीगण के नाम व खसरा संख्या 732 रकबा 4.72 हैक्टेयर में से 4.275 हैक्टेयर (खेत का पूर्वी भाग) नक्शे में वर्णित आसमानी रंग की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में अलग–अलग तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करे तथा पक्षकारान् द्वारा उक्त आराजी में ऋण लिया गया है तो वह ऋण यथावत रहेगा राजीनामे के साथ पेश नक्शा परिशिष्ठ 'अ' निर्णय का भाग रहेगा। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:44:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

अनवान

मृतक हेमराज पुत्र भाणा के कायम मुकाम व वारिसारान :–

1. रणछोड़ाराम पुत्र हेमराज।
2. मोतीराम पुत्र हेमराज।
3. मफाराम पुत्र हेमराज।
4. नरसीराम पुत्र हेमराज जातियान कलबी निवासीगण दांतिया तहसील सांचोर जिला जालोर।

वादीगण.......

1. लुम्बाराम पुत्र भाणाराम जाति कलबी निवासी दांतिया तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ोदा बैंक शाखा सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर।
3. भूमिधारी तहसीलदार सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)।

प्रतिवादीगण.........

अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 65/2025

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री सगताराम चौधरी व शंकर चौधरी उपस्थित, प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण दवे व प्रतिवादी संख्या 2 से 3 एकपक्षीय मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वांके सरहद दांतिया के खेत खसरा संख्या 693 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा संख्या 733 रकबा 1.93 हैक्टेयर, खसरा संख्या 732 रकबा 4.72 हैक्टेयर में से 0.445 हैक्टेयर (खसरा संख्या 733 से लगती हुई) कुल रकबा 4.275 हैक्टेयर नक्शे में वर्णित लाल रंग की भूमि वादीगण के नाम व खसरा संख्या 732 रकबा 4.72 हैक्टेयर में से 4.275 हैक्टेयर (खेत का पूर्वी भाग) नक्शे में वर्णित आसमानी रंग की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में अलग–अलग तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17.12.2025 को जारी हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:44:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

अनवान रणछोडाराम वगैरा बनाम लुम्बाराम वगैरा।
मुकदमा नम्बर 65/2025
निर्णय तारीखः— 17.12.2025

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	4	00

सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:44:00 IST
Reason: SelfAttested